भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2619

11 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार

2619. श्री सुब्बारायण के.:

श्री सेल्वाराज वी.:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के मासिक खरीद आंकड़ों के विश्लेषण के लिए अगस्त 2022 से जुलाई, 2023 तक बनाई गई रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा आपूर्ति किया गया लगभग 28% खाद्यान्न कभी भी लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा और राजकोष को 69000 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक हानि होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत संचालित होती है और इसका संचालन केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों का आबंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण, उचित दर दुकानों के डीलरों को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों (एफपीएस) की कार्य प्रणाली की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की परिचालन संबंधित जिम्मेदारियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती हैं।

...2/-

28% खाद्यान्न लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाने की रिपोर्ट में गलत तरीके से उठाव और वितरण को मिला दिया गया है। उठाव से तात्पर्य केंद्रीय डिपो से राज्यों द्वारा उठाए गए खाद्यान्न की मात्रा से है, जबकि वितरण से तात्पर्य लाभार्थियों तक इन अनाजों की डिलीवरी से है। उठाव के आंकड़ों में, पारगमन में स्टॉक, बफर आबंटन, परिचालन भंडार और ओडब्ल्यूएस (अन्य कल्याणकारी योजनाओं) के लिए स्टॉक भी शामिल है, जिन्हें तुरंत परिवारों को वितरित नहीं किया जाता है। इन अंतरों को ध्यान में न रखते हुए, रिपोर्ट के लीकेज अनुमान मौलिक रूप से गलत हैं।

प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डेटाबेस को पूरी तरह से डिजिटिकृत कर दिया गया है, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर 99.8% राशन कार्डों को आधार संख्या के साथ जोड़ दिया गया है।

देश में लगभग सभी उचित दर दुकानों को कवर करते हुए 5.41 लाख ई-पीओएस डिवाइस के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का संचालन किया जाता है। ये ई-पीओएस डिवाइस वितरण प्रक्रिया के दौरान लाभार्थी के आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करते हैं, जिससे सही लक्ष्य निर्धारण के सिद्धांत को सशक्त किया जाता है। लगभग 98% खाद्यान्न वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे अयोग्य लाभार्थियों को लीकेज कम हो रही है और सही लक्ष्य निर्धारण सुनिश्चित हो रहा है।

*****